राजीनामा मे वादीगण की शिनाख्त वादीगण के अधिवक्ता द्वारा की गई एवं प्रतिवादी नं 1 व 2 की शिनाख्त प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा की गई राजीनामा शा.का. किया गया। वास्ते आदेश निर्णय पत्रावली 9-6-22 को पेश हो।

9-6-22 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। आदेश वाद-पत्र सुनाया गया वादीगण का वाद-पत्र खारिज किया जाता है। तथा पक्षकारो को कृषि भूमि की अदला-बदली कराने हेतु तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का परामर्श दिया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा (बूंदी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा(RAS)

99 / दावा / 2021
दायरा दिनांक 29.11.2021

बउनवान

1. नेमीचन्द आत्मज केदांर जाति लुहार निवासी माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
2. महावीर आत्मज केदांर जाति लुहार निवासी माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
3. रघुनाथ आत्मंज केदांर जाति लुहार निवासी माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

—वादीगण

बनाम

1 रमेश आत्मज मिश्रीलाल जाति बैरवा निवासी माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
2 राधेश्याम आत्मज मिश्रीलाल जाति बैरवा निवासी माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
3 राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार साहब इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

— प्रतिवादीगण

वादं अर्न्तगत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट व धारा 136 एल आर एक्ट।

उपस्थित :— 1.श्री दिनेश कुमार शर्मा एडवोकेट(वादीगण)।
2.श्री अब्दुल सत्तार एडवोकेट(प्रतिवादीगण)।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

—: निर्णय :— दिनांक: :—09.06.2022

वादीगण द्वारा वाद—पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम माखीदा में स्थित खसरा सं0 982 रकबा 1.22 हैक्ट0 वादीगण की खातेदारी में दर्ज है एंव खसरा संख्या ,980 रकबा 1.35 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।ख0सं0 982 वादीगण 1 लगायत 3 के पिता श्री केदार पुत्र नाथू जाति लुहार को सेटलमेन्ट सर्वे सन् 1995—2015 के पूर्व गत खसरा सं0410 में 7 बीघा 8 बिस्वा ख0सं0 409 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी जो कि जमाबन्दी सवंत् 2036—39 में ख0सं0 410/1/2 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा व गैर खातेदारी भूमि ख0सं0 409 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा श्री केदार पुत्र नाथू जाति लुहार के नाम दर्ज रिकार्ड है।इसी प्रकार जमाबन्दी ग्राम माखीदा सवंत् 2036—39 में ख0सं0 410/1 रकबा 15 बिस्वा की गैर खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता श्री मिश्रीलाल पुत्र मूलचन्द जाति बैरवा दर्ज है यह भूमि उनको भी आवंटन से प्राप्त हुई थी।तभी से वादीगण 1 लगायत 3 व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता पृथक—पृथक अपनी कृषि भूमि पर काबिज काश्त है परन्तु दौराने सेटलमेंट वादीगण के पिता के नाम आवंटित व कब्जे काश्त भूमि के खसरा संख्या 980 बनाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता तथा उनकी मृत्यु पश्चात् प्रतिवादीगण 1 व 2 के नाम अकिंत कर दी गयी एवं इसी प्रकार प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त भूमि के नवीन ख0सं0 982 बनाकर वादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी।

वादीगण व प्रतिवादीगण 1—2 आवंटन अनुसार भूमि पर काबिज है सिंचाई हेतू ट्युबवेल व मकान बना कर निवास कर रहे है इसलिए सेटलमेंट द्वारा की गयी गलती को दुरूस्त कर वादी के कब्जे की भूमि ख0सं0 980 रकबा 1.35 हैक्ट0 और प्रतिवादी के खाते के कब्जा अधिकार ख0सं0 982 रकबा 1.22 हैक्ट0 उनके नाम दर्ज किया जाने का निवेदन किया।वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया उनके द्वारा वाद—पत्र में अकिंत तथ्य स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया दौराने वाद वादीगण संख्या 04 श्रीमति रामनाथी पत्नी स्व0 श्री केदार जाति लुहार की मृत्यु हो जाने एवं उनके कायम मुकामान पत्रावली में पूर्व से होने के कारण उनका नाम दौरान वाद विलोपित किया गया। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी ने उपस्थित होकर पक्षकारान के मध्य राजीनामा होना जाहिर करते हुए राजीनामा पेश किया राजीनामा अनुसार वाद

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

डिक्री करने का निवेदन किया।पत्रावली का अवलोकन कर मनन करने पर पाया कि वादीगण द्वारा भू0आवंटन पत्र एवं आवंटित भूमि पर संभलाये गये मौका कब्जा सबंधी मौका पर्चा/नजरी नक्शा ख0सं0 410/1 व 410/1/2 की गत तरमीमी नक्शा पत्रावली के साथ सलंग्न नही किया और न ही भू0 प्रबंधन विभाग के द्वारा दौराने सेटलमेंट तैयार कर दिये जाने वाला पर्चा पेश किया है इस कारण उनके द्वारा अकिंत इस कथन की पुष्टि नही हो सकती कि वे या उनके पूर्वज उनको आवंटित भूमि पर ही काबिज काश्त थे और दौराने सेटलमेंट भू0 प्रबंध विभाग ने किसी प्रकार की त्रुटि करते हुए नवीन रिर्कोड तैयार किया है।

प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादीगण तथा प्रतिवादीगण 1 व 2 जिस खसरा सं0 को राजीनामा अनुसार एक दुसरे के नाम अकंन करवा कर शुद्वि करवाना चाहते है उनका रकबा वाद–पत्र में अकिंत आवंटित रकबे से मिलान नही खाता है इस कारण राजस्व अधिकारियों एवं बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा सैटलमेन्ट के दौरान कोई त्रुटि होना नही पाया जाता है उभयपक्षकारान के द्वारा राजस्व रिकार्ड की त्रुटि होना प्रथम दृष्टया साबित नही किया है।जिसके अभाव में उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा विधि विरूद्व होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः वादी का वाद राजस्व रिकार्ड के अभाव एवं राजीनामा विधि विरूद्व होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)